-------3/यो0स०क०-30/2022 23

**बिहार सरकार**
**समाज कल्याण विभाग**

पत्र संख्या-

**स्वीकृत्यादेश**
**(संख्या/2024-25)**

प्रेषक,

**योगेश कुमार सागर,** (भा०प्र०से०),
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 21.03.2025

**विषय:-** **वितीय वर्ष 2024-25 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत संचालित ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण एवं उन्नयन योजना हेतु कुल रू. 11902.28 लाख (रू. एक सौ उन्नीस करोड दो लाख अठ्ठाईस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2024-25 में ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण योजना संचालित है। वितीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अन्तर्गत कुल रू. 18400.06 लाख (रू. एक सौ चौरासी करोड छः हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 56 दिनांक 21.06.2024 एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त कुल 3971.96 लाख (रू. उनचालीस करोड एकहत्तर लाख छियानवे हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 77 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त रू. 11902.28 लाख (रू. एक सौ उन्नीस करोड दो लाख अठ्ठाईस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

**(राशि लाख में)**

| क्र. | योजना का नाम | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | पूर्व में स्वीकृत राशि | अतिरिक्त स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (सक्षम ऑगनबाडी पोषण 2.0) स्वच्छता कार्य योजना | 51-2235021020232 | 0232-27.01 | 0.00 | 4051.73 |
| | | 51-2235021020332 | 0332-27.01 | 0.00 | 2701.15 |
| 2. | (सक्षम ऑगनबाडी पोषण 2.0) ऑगनबाडी केन्द्र भवन का उन्नयन | 51-4235021020210 | 0210-53.01 | 2400 | 3089.64 |
| | | 51-4235021020310 | 0310-53.01 | 1420.00 | 2059.76 |
| **(रू. एक सौ उन्नीस करोड दो लाख अठ्ठाईस हजार)** | | | | | 11902.28 |

**2.** स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

**3.** उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

**4.** राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि0 दिनांक 01.04.24, **478/**वि० दिनांक 06.08.2024**, 206/**वि० दिनांक 18.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

**5.** स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-30/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 10/टि0 पर दिनांक-19.03.25 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

**6.** प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**7.** यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 23 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि** - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 23 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि** - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 23 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि**–विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/3/25

संयुक्त सचिव